29/7/24 पत्रावली पेशी हेतु। वकील वादी अनुपस्थित।
वकील वादी/वादिगण को बार-बार
कहने-सुनने पर न्यायालय समय में
न्यायालय समय समाप्ति तक समय
10, 11, 12, 01, 02, 03, 04, 05 बजे तक
इंतजार लगाया गया। तथापि वकील
वादी/वादिगण की ओर से कोई उपस्थित
नहीं हुआ अतः वकील वादी/वादिगण
का वाद अशक्त घोषणा अशक्त दीवानी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद
नकल के बाद दिनांक दीवानी कुमार दिनांक
निर्धारण किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम